न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 69/2017

अपीलांट	बनाम	**रेस्पोडेंट**
भंवरसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति जाति राजपूत निवासी गेहूँ तहसील,बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 20.09.2017 बमुकदमा संख्या 219/2017 द्वारा तहसीलदार बाड़मेर

उपस्थितः–1.श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 21.02.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जालीपा ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार, बाड़मेर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलांट भंवरसिंह पुत्र चिमनसिंह ने ग्राम गेहूँ के खसरा संख्या 90 रकबा 9.00बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन रड़ी की भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय–तहसीलदार बाड़मेर ने अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 219/2017दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, 23/–जुर्माना आरोपित किया एंव एक माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं।अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अंपील को अंदर सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 90 मौजा गेहूँ के सेढे पर अपीलांट की सह खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 439,719/438 आया हुआ है, जिस पर अपीलांट अपने सह खातेदार के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

साथ काबिज है अपीलांट अपनी सह खातेदारी भूमि में काश्त करता आ रहा है, अपीलांट ने सरकारी भूमि पर काश्त नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ में पटवारी को तलब नहीं किया गया न ही पटवारी के बयान लिये गये है जिससे अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण का आरोप साबित नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि खसरा संख्या 90 पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा होने का कोई स्वतंत्र साक्ष्य अथवा सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त खसरा के लगोलग अपीलांट का खातेदारी का खेत आये हुए है उन पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वरा गलत रिपोर्ट पेश कर धारा 91 अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज किया गया। तहसीलदार बाड़मेर ने भी कोई जॉच नहीं कर एक तरफा आदेश पारित कर दिया, जो गलत है। अपीलाधीन आदेश का वास्तविक ज्ञान अपीलांट 23.10.2017 को हुआ। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद है। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाए। इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांट की खातेदारी भूमि उक्त आराजी के पास नहीं है। अपीलांट ने वर्ष 2016 में भी इस भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की है और अतिक्रमण करने का आदी है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, सही एंव उचित है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

4. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एंव प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से मौजा गेहूँ के खसरा नम्बर 90 की भूमि गैर मुमकिन रड़ी की भूमि सरकारी भूमि हैं। उक्त विवादित आराजी के पास अपीलांट की खातेदारी भूमि होने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अपीलांट के न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट भंवरसिंह ने मौजा गेहूँ के खसरा नम्बर 90 गैर मुमकिन रड़ी की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध काश्त करने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध वर्ष 2016 में मुकदमा संख्या 331/16 दर्ज कर आदेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट ने इसी खसरा की भूमि पर दुबारा वर्ष 2017 में अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध मुकदमा संख्या 219/2017 दर्ज कर बाद जॉच एंव सुनवाई आदेश दिनांक 20.09.2017 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जॉच के दौरान पटवारी हल्का जालीपा के बयान लिये है। पटवारी हल्का जालीपा के बयान अनुसार अपीलांट भंवरसिंह ने मौजा गेहूँ के खसरा नम्बर 90 में अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध मुकदमा संख्या 331/16 आदेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा गेहूँ के खसरा नम्बर 90 में अपीलांट की ढाणी(मकान) बना हुआ होना और ढाणी(मकान के अलावा)शेष

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

भूमि से अतिक्रमी द्वारा कब्जा हटाना बताया। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं हटाया है। अपीलांट जान बूझकर, राजकीय भूमि पर बेदखल करने के बावजूद बार–बार अतिक्रमण करता रहता है और पश्चात्वृति अतिक्रमी हैं। अपीलांट की इस प्रवृति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने,जुर्माना आरोपित करने एंव सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एंव न्यायोचित है, जिसका हम समर्थन करते है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव तहसीलदार,बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर